न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)

वाद सं. : 06/2019

1. नन्दा पुत्र भक्ता
2. सुखा पुत्र भक्ता

समस्त जाति अहीर, नि– चक मनोहरपुरा, तह–आमेर जिला जयपुर

–वादीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र रामदेव
2. बन्शी पुत्र गुल्ला

समस्त जाति अहीर, नि– चक मनोहरपुरा, तह–आमेर जिला जयपुर

3. राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, खातेदारी अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– अधिवक्ता वादीगण श्री बंशीधर जाट

निर्णय **दिनांक 28.11.2019**

वादीगण की ओर से ग्राम चक–मनोहरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा सं. 320, 323, 323/863, 324 के सन्दर्भ में हस्तगत वाद बाबत घोषणा, खातेदारी अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि उक्त वर्णित भूमि आराजी **खसरा संख्या 323 के वादीगण खातेदार काश्तकार है,** तथा **खसरा सं 320, 323/863, 324 के प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है।** वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 323 रकबा 0.38 है. की पश्चिमी सीमा के उत्तर दक्षिण में करीब 04 मीटर चौडाई की भूमि व प्रतिवादीगण 1 व 2 की भूमि खसरा सं. 323/863 की पूर्वी सीमा व 324 का दक्षिणी भाग सीमा लगवां है, जिसमें लगभग 04 मीटर चौडाई की भूमि पर प्रतिवादीगण ने उक्त दोनों खसरा नंबरान जो प्रतिवादीगण के नाम है, कि लगवां भूमि पर लगभग 30 माह पूर्व पुख्ता निर्माण कार्य कर लिये है। **जिसके बदले में वादीगण को स्वयं की भूमि खसरा सं. 319 में जाने हेतु प्रतिवादीगण की भूमि खसरा सं. 320 की दक्षिण सीमा के सहारे पूर्व, पश्चिम की ओर लम्बा रास्ता दिया गया था।** उक्त भूमि खसरा सं. 320 में स्थित

उक्त रास्ते का उपयोग वादीगण द्वारा अपने खेत खसरा सं. 319 मे आने जाने हेतु किया जाता रहा है। **वादीगण की भूमि खसरा सं. 323 में जो भूमि प्रतिवादीगण को दी गई है उसके के बदले प्रतिवादीगण की आराजी 320 में वादीगण को भूमि दी गई थी।** जिसकी खातेदारी की घोषणा करवाने का वादीगण पूर्ण अधिकारी है इस कारण यह वाद पत्र बाबत खातेदारी अधिकारो का वादीगण द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। विवादित आराजीयात खसरा सं. 320 में स्थित रास्ते का उपयोग व उपभोग (जो नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई है) वादीगण अपने खेत खसरा सं. 319 में आने जाने हेतु करता आ रहा है। जिसके बदले में वादीगण ने स्वयं की खातेदारी भूमी खसरा सं 323 में पश्चिमी सीमा पर भूमि (जो नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गयी है) प्रतिवादीगण को दी गई है। यदि वादीगण के हक में खसरा सं. 320 की आराजी की खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही की जावे तो पूरक अनुतोष के रूप में प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि खसरा सं. 323 (पश्चिमी सीमा पर नजरीये नकशे में पीले रंग से दर्शायी गई है) से बेदखल करने का वादीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विवादित आराजीयात खसरा सं. 320 की दक्षिण सीमा पर स्थित रास्ते का उपयोग वादीगण द्वारा किया जा रहा है। जिससे वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वो उक्त भूमि में आवागमन में अवरूद्ध करने पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवाये, इस कारण यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। खसरा नं. 320 में बने हुये उक्त रास्ते में प्रतिवादीगण द्वारा छडिया व तार बाउण्ड्री कर अवरूद्ध करने की कोशिश की गई जिस पर दिनांक 05.01.2019 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 01 व 02 को उक्त कृत्य हेतु मना करने पर प्रतिवादीगण 01 व 02 ने इन्कार कर दिया। इस प्रकार वाद कारण उत्पन्न होने पर यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण सं. 03 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा डिक्री किया जाकर वादपत्र में वर्णित आराजीयात खसरा सं. 320 की दक्षिणी सीमा में सी से डी 05 मीटर चौडाई की भूमि का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जावे, तथा भूमि खसरा सं. 323 में ए से बी की पश्चिमी सीमा में 04 मी चौडाई की खातेदारी वादीगण के नाम से हजब की जाकर प्रतिवादीगण सं 01. व 02 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को खसरा सं. 320 में नजरीये नक्शे में सी से डी स्थान के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे कि वो उक्त भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत उत्पन्न न करे तथा यदि वादपत्र में अनुतोष में वर्णित अनुतोष वादीगण

के हक में किसी कारण वाश मान्य न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जावे तो वादीगण की भूमि खसरा सं 323 की पश्चिमी सीमा पर ए से बी. स्थान से प्रतिवादी सं. 01 व 02 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलवाया जाने की डिक्री जारी की जावे।

वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के सन्दर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. सत्य प्रतिलिपि :– हाल नक्शा ट्रेस
2. छाया प्रतिलिपि :– नजरिये नक्शा
3. प्रमाणित प्रतिलिपि :– नक्शा भू–प्रबन्ध आयुक्त
4. सत्य प्रतिलिपि :– हाल जमाबंदी सम्वत 2073–2076

वादपत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वादपत्र में अभिकथन किया गया है कि वर्णित आराजियात में प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 320, 323/863, व 324 विवादग्रस्त नहीं है। प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार स्वयं है। वादीगण का कोई संबन्ध व सरोकार नहीं है तथा वादीगण का यह कथन **गलत है कि खसरा सं. 323 की पश्चिमी सीमा के उत्तर–दक्षिण में करीब 04 मीटर की चौडाई की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की भूमि की पूर्वी सीमा खसरा नम्बर 323/863 व 324 का दक्षिणी भाग सीमा लगवा पर लगभग 04 मीटर चौडाई की भूमि पर प्रतिवादीगण ने आज से 30 माह पूर्व पुख्ता निर्माण कर लिया हो। जिसके कारण वादीगण के स्वयं की भूमि खसरा नम्बर 319 में जाने हेतु प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 320 के दक्षिणी सीमा के सहारे पूर्व पश्चिम की ओर लम्बा रास्ता दिया गया हो, एवं उक्त भूमि खसरा नम्बर 320 में स्थित रास्ते का उपयोग वादीगण द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 319 में जाने हेतु किया जाता रहा हो।** बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि वादीगण के खसरा नम्बर 381 व 382 में मकानात बने हुये है जिसमें रास्ता पहले से ही मौजूद है एवं उक्त खसरा नम्बरान वादीगण व प्रतिवादीगण व अन्य सहखातेदारान का शामलाती खातेदार कश्तकार है एवं खसरा नं. 381, 382 से लगवा दक्षिण दिशा की ओर रास्ता जाकर वादीगण के खसरा नं. 319 में जाता है जो पूर्व से ही चला आ रहा है। इस प्रकार से वादीगण गैर कानूनी रूप से प्रतिवादीगण की भूमि में से बीचो बीच रास्ता गैर कानूनी रूप से जबरदस्ती लेना चाहते है, जबकि उनका रास्ता अपनी भूमि में जाने हेतु पूर्व से ही जो खसरा नम्बर 381, 382 के दक्षिण दिशा की ओर जाता है, का उपयोग उपभोग कर रहें है। वादीगण का यह कथन भी गलत है कि उक्त भूमि खसरा

नम्बर 320 में स्थित रास्ते का उपयोग वादीगण द्वारा अपने खेत खसरा नं 319 में जाने हेतु किया जाता रहा हो। जब रास्ता खसरा नं. 320 में स्थित ही नहीं है और ना ही रहा है तो वादीगण का उसका उपयोग उपभोग किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। वादीगण द्वारा बदनियती पूर्वक यह वाद प्रस्तुत किया गया है, ताकि श्रीमान न्यायालय को तथ्य छिपाकर गैरकानूनी रूप से प्रतिवादीगण की भूमि में रास्ता प्राप्त कर सके। वादीगण का यह कथन भी गलत है कि वादीगण ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 323 में से प्रतिवादीगण को दी गई हो तथा उसके बदले प्रतिवादीगण ने आराजी खसरा नं. 320 में वादीगण को दी हो। उक्त तथ्यों का वास्तविकता से कोई संम्बन्ध व सरोकार नहीं है, खसरा नम्बर 323 वादीगण के नाम चला आ रहा है व मालिक काबिज व स्वामी है, उसी प्रकार खसरा नम्बर 320 के प्रतिवादीगण तन्हा मालिक काबिज स्वामी चले आ रहे है एवं अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है, उक्त खसरा नम्बर 320 में वादीगण या किसी अन्य का कोई मालिकाना हक व काबिज व कोई रास्ता नहीं है, **ना ही कोई जमीन के बदले वादीगण को खसरा नम्बर 320 में रास्ता दिया गया है,** वादीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष झूठे बेबुनियाद व आधारहीन आधारो पर उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। **जब खसरा नं. 320 में कोई रास्ता वादीगण का है ही नही ंतो वादीगण उक्त खसरा नम्बर में खातेदारी की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है।** वादीगण का यह कथन **गलत है कि खसरा नं. 320 में पीले रंग से दर्शाया गया भाग वादीगण अपने खेत खसरा नम्बर 319 में जाने हेतु रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे हो, एवं वादीगण का यह कथन भी गलत है कि वादीगण ने अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 323 में पश्चिम सीमा पर जो नक्शे में पीले रंग से दर्शायी है, प्रतिवादीगण को दी गई हो,** खसरा नम्बर 323 में प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है एवं खसरा नम्बर 320 में वादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है, वादीगण द्वारा उक्त वाद पत्र झूठे बेबुनियाद आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में खसरा नम्बर 323 वादीगण का नाम दर्ज है, एवं खसरा नम्बर 320 में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है, इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि खसरा नं. 320 के सम्बन्ध में वादीगण का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है ना ही वा मालिक काबिज एवं स्वामी चले आ रहे है व वर्तमान में है, वादीगण व किसी भी अन्य व्यक्ति को उक्त खसरा नम्बर 320 के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार खसरा नम्बर 320 प्रतिवादीगण ही मालिक काबिज एवं स्वामी है, इसलिए वादीगण उक्त खसरा नम्बर 320 में किसी भी प्रकार

की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है। वादपत्र के साथ नजरी नक्शे में जो रास्ता दर्शाया गया है, वह गलत दर्शाया गया है। वादीगण का यह कथन गलत है कि खसरा नम्बर 320 के दक्षिण सीमा में स्थित रास्ते का उपयोग वादीगण द्वारा किया जाता हो। जब खसरा नम्बर 320 में कोई रास्ता है ही नही ंतो वादीगण को उपयोग उपभोग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है एव ंना ही वादीगण किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता। वादीगण का यह कथन गलत है कि खसरा नम्बर 320 में बने हुए रास्ते में प्रतिवादीगण द्वारा छडिया व तार बाउण्ड्री का रास्ते को अवरूद्ध करने की कोशिश की गई हो। जब उक्त खसरा नम्बर 320 में कोई रास्ता है ही नही ंतो छडिया व तार बाउण्ड्री करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है एवं उक्त खसरा नम्बर 320 में कोई रास्ता है ही नही ंतो प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नम्बर 320 की दक्षिणी सीमा व नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शायी गई खातेदारी को वादीगण के नाम करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि खसरा नम्बर 320 के प्रतिवादीगण ही मालिक काबिज एवं स्वामी है। **वादी व प्रतिवादगण के मध्य खसरा नम्बर 320 व 323 के सम्बन्ध में कोई आटा–साटा (अदला–बदली) नहीं की गई, उक्त तथ्य केवल मनगढन्त, बेबुनियाद व झूठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है।** वाद पत्र के साथ नजरी नक्शे में जो रास्ता दर्शाया गया है, वह गलत रूप से दर्शाया गया है। उक्त मद में जो वाद कारण बताया गया है वह वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिए बिना वाद कारण के उक्त वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार वाद पत्र में जो अनुतोष वादीगण द्वारा चाहा गया है वह अनुतोष वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम कि गई–

1. आया वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 320 जो कि प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि है, की दक्षिणी सीमा में 5 मीटर चौडी भूमि का वादीगण स्वयं को खातेदार घोषित कराने के तथा भूमि खसरा नं. 323 जो कि वादीगण की खातेदारी की भूमि है, की पश्चिमी सीमा में 4 मीटर चौडी भूमि के सन्दर्भ में स्वयं की खातेदारी विलोपित कराते हुये प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है।

–वादीगण

2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि विवादित भूमि ख.नं. 320 में नजरिये नक्शे में अंकित सी से डी स्थान में किसी प्रकार की मजाहमत ना करें।

—वादीगण

3. आया वादीगण द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 320 में कोई रास्ता ही नही है।

—प्रतिवादीगण

4. आया वाद कारण के अभाव में वाद वादीगण खारिज किया जाने योग्य है।

—प्रतिवादीगण

5. अनुतोष ?

कायम तनकीयात के क्रम में वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र वादी सं. 1 नन्दाराम पुत्र वक्ता (PW–1), वादी सं. 2 सुखा पुत्र वक्ता (PW–2) व गवाह हरफुल पुत्र कालूराम के पेश किये। अग्रिम कार्यवाही के नियत रहते प्रतिवादीगण के मय अधिवक्तागण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। जिसके पश्चात साक्ष्य जिरह की प्रक्रिया अपेक्षित नही होने से अधिवक्ता वादीगण की बहस अन्तिम सुनी गई।

हमने अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के अभिकथनों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अध्ययन, अवलोकन व परीक्षण के पश्चात प्रकरण का तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार है–

तनकी सं. 1 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा इस बिन्दु/तनकी के क्रम/सन्दर्भ में वादीगण द्वारा ऐसा कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य अथवा सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है। जो यह तस्दीक करे की वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 323 के रकबे में कमी है तथा उक्त कम हुई भूमि प्रतिवादीगण की भूमि 323/863 व 324 में अधिक है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा ऐसा कोई समझोता पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है जिससे सिद्ध होता हो कि पूर्व में पक्षकारान के मध्य भूमि की बाहमी अदला बदली की गई हो। ऐसी स्थिति में मात्र वादीगण के अभिकथनों के आधार पर वादीगण को अपेक्षित अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता तथा

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादीगण के कथनों की पुष्टि नही होती है। ना ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण की सिद्धता हेतु पर्याप्त दस्तावेज है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा तथ्यों से इन्कार किया गया है। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध नही होने से विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी सं. 2 :– यह तनकी तनकी सं. 1 की पूरक है। चूंकि तनकी सं. 1 वादीगण के विरूद्ध तय की गई है। अतः यह तनकी स्वतः ही वादीगण के विरूद्ध सिद्ध होने से विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी सं. 3 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जिसके क्रम में प्रतिवादीगण द्वारा मात्र जवाब वादपत्र के अतिरिक्त समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया। जिससे प्रतिवादीगण के कथनों की पुष्टि होती हो। यद्यपि वादीगण की भारिता की तनकीयात विरूद्ध वादीगण तय की गई है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही होने से यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी सं. 4 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही होने से यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

अनुतोष :– अतः चूंकि वादीगण द्वारा ऐसा कोई मान्य दस्तावेजी साक्ष्य अथवा सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है जो यह तस्दीक करे की वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 323 के रकबे में कमी है तथा उक्त कम हुई भूमि प्रतिवादीगण की भूमि 323/863 व 324 में अधिक है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा ऐसा कोई समझोता पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है जिससे सिद्ध होता हो कि पूर्व में पक्षकारान के मध्य भूमि की बाहमी अदला बदली की गई हो। ऐसी स्थिति में मात्र वादीगण के अभिकथनों के आधार पर वादीगण को अपेक्षित अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादीगण के कथनों की पुष्टि नही होती है। ना ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण की सिद्धता हेतु पर्याप्त दस्तावेज है। अतः वाद वादीगण सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2019.12.12 12:28:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: